

3/7/19

प्रार्थी एवं प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी की ओर से आवश्यक सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश करने व प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तथा उक्त उक्त के नम्बर पर लिखा गया।

प्रार्थी एवं प्रार्थी के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी उक्त उक्त में अप्रार्थी के विरुद्ध आगे कोई कार्रवाई नहीं करता है व प्रार्थना पत्र विरुद्ध कतल करता है। प्रार्थनी एवं प्रार्थना पत्र को अवलोकित किया गया व अवलोकित प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तथा प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाने के कारण उक्त रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू कर प्रार्थना पत्र धारा 251 A खारिज किया जाता है। जिस पर सुनवाई लेकर नम्बर से कम है। वक्त वफावर वाबिल है।

आदेश आज सुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल सेनावलिया)
सदस्य अधिकारी
महानगर (अवध) राज.

